

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बनेडिया व भूअनि. बनेडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार की अनुसारा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डी.पी. तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 266 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

कालुसिंह एवं शंकरसिंह एवम्

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	डी.पी.	266	M.A.G.B. शंकर, <u>रेलमगरा</u>	R.H.P. शंकर <u>रेलमगरा</u>

पीटासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कलक्टर

रेलमगरा

दिनांक - 3/10/25

क्रमांक - 1/राजस/2025/85

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री बनेडिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीटासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कलक्टर

रेलमगरा